न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 99/2014

अब्दुल लतीफ पुत्र महसूद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 5 करबला मैदान मांगरोल जिला बारां .....प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. जाफर हुसैन पुत्र स्वर्गीय अब्दुल वहीद जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं0 7 मांगरोल जिला बारां
   1/1 रूकसाना
   1/2 इकबाल हुसैन
   1/3 इरफान हुसैन
   1/4 शेर बानो
   1/5 रेशमा
   1/6 शमा परवीन
   1/7 साबिर हुसैन
2. सईदन पुत्री अब्दुल वहीद पत्नि अब्दुल कादर जाति मुसलमान निवासी मांगरोल हाल ईटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
3. रशीदन पुत्री अब्दुल वहीद पत्नि मोहम्मद युसूफ जाति मुसलमान निवासी मांगरोल हाल मुकाम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा
4. बिस्मिल्ला पुत्री अब्दुल वहीद पत्नि अब्दुल शकूर जाति मुसलमान निवासी पगारा तहसील किशनगंज जिला बारां
5. फातमा पुत्री अब्दुल वहीद पत्नि अब्दुल शकूर जाति मुसलमान निवासी पगारा तह0 किशनगंज जिला बारां
6. राजस्थान सरकार जर्य तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
वकील प्रतिवादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दिनांकः 14.11.2014 निर्णय दिनांक : 31.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के शामलाती खाते की आराजी ग्राम भटवाडा में स्थित खाता संख्या 4 खसरा नं0 820 रकबा 0.79 है0 जिसमें खातेदार की हैसियत से प्रार्थी अब्दुल लतीफ व अप्रार्थीगण के पिता अब्दुल वहीद का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता सगे भाई है। तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पिता अब्दुल वहीद के बीच दिनांक 14.10.1994 को एक इकरार नामा हकत्याग अब्दुल वहीद द्वारा रूबरू गवाहान अब्दुल रजाक व अब्दुल सलाम के समक्ष लिखा गया था इन्द्राहेडी खाता संख्या 2 खसरा नं0 127 रकबा 0.67 है0 खसरा नं0 131 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 रकबा 0.92 है0 भूमि तथा भटवाडा के खसरा नं0 820 रकबा 0.79 है0 भूमि में से मेरा हिस्सा 1/2 है0 चूकि मेरा छोटा भाई और में दोनो आपसी सहमति के आधार पर हमारे संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन करना चाहते है। ताकि हमार बीच चल रहा विवाद समाप्त हो सके। इसलिए में मेरे छोटे भाई अब्दुल लतीफ को ग्राम भटवाडा के खसरा नं0 820 रकबा 0.79 है0 में से मेरा हिस्सा 1/2 रकबा 0.40 है0 पर से अपने छोटे भाई के हक मे हक त्याग करता हूं अब में भविष्य में ग्राम भटवाडा की आराजी हिस्सा 1/2 पर उज्र नही करूगां प्रार्थी ने मुताबिक हक त्याग ग्राम इन्द्राहेडी की आराजी में अब्दुल वहीद के साथ-साथ स्वयं का नाम भी राजस्व रेकार्ड में खातेदार की हैसियत से दर्ज था व प्रार्थी का 1/2 हिस्सा था। उस पर से अपना नाम हटाकर अब्दुल वहीद के नाम सम्पूर्ण खाता दर्ज करा दिया है। परन्तु उस समय ग्राम भटवाड की आराजी पर से अब्दुल वहीद का नाम निकलने से रह गया है इस कारण आज भी खाते में प्रार्थी व अब्दुल वहीद का नाम 1/2 हिस्से में दर्ज है। इसलिए प्रार्थी हक त्याग ग्राम भटवाडा की आराजी में से अब्दुल वहीद का नाम हटवाकर सम्पूर्ण खाते में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वर्णित आराजी खसरा नं0 820 रकबा 0.79 है0 के 1/2 हिस्से को रहन बैचान नही करें तथा किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 14.11.2014 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरूरी समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह हाडा ने दिनांक 10.04.2015 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके अनुसारः-

01. प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है।
02. प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है।
03. प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 मनघढंत व असत्य है, अप्रार्थीगण के पिता ने ग्राम भटवाडा की आराजी में अपने हिस्से का त्याग नही किया है, और अभी भी अप्रार्थीगण अपना हिस्सा 1/2 में में काबिज काश्त है, शेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

04. प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 स्वीकार नही है, प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता अब्दुल वहीद से अपने हिस्से 1/2 के पैसे लेकर उनके पक्ष में हक त्याग किया था। इसलिए अब प्रार्थी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही कर सकता।

05. प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 स्वीकार नही है, विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है।

06. प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 प्रार्थी का कोई प्राईमाफैसी केस नही है, सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नही है, अप्रार्थीगण आराजी के रेकार्डेड सहखातेदार है, और सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

विशेष आपत्तियां

1. अप्रार्थी नं0 लगायत 5 वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से के सहखातेदार है, तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबंदी से नही हटाया जा सकता व इकरार नामा दिनांक 14.10.1994 एक अनरजिस्टर्ड तहरीर है, जो किसी भी प्रकार से साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नही है, तथा प्रार्थी को कोई सहायता नही पहुचांता है।
2. अप्रार्थी नं0 1 लगायत 5 आराजी के सहखातेदार है सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के बराबर इंच भूमि पर कब्जा व स्वामित्य होता है इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद प्रार्थी सव्यय खाजिर फरमाया जावें।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी व जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण दोनो ने अपने–अपने तथ्यो में स्वीकार किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता दोनो सगे भाई है एवं अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकन किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से पैसे लेकर अपनी हिस्से 1/2 का बैचान किया था परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है लिहाजा न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित ग्राम भटवाडा की आराजी खसरा नं0 820 रकबा 0.79 है0 में अप्रार्थी का हिस्सा 1/2 को रहन बैचान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नही करें। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में विचाराधीन संबंधित दावे के निर्णित होने तक प्रभावी रहेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन